बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–09/सं०कृ०भ०–16/2014......560...../कृ०, पटना, दिनांक 4.7........../2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय
विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। (*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन का निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4723.49 लाख (सैंतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 के क्रम में कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना का विभागीय राज्यादेश संख्या 08 दिनांक 02.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रूपये तथा वर्ष 2018–19 में 4723.49 लाख (सैंतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये कुल 7723.49 लाख (सतहत्तर करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। जिसके अधीन वर्ष 2018–19 में 4723.49 लाख (सैंतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक कुल 10565.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके विरूद्ध कुल 3382.80 लाख रूपये कार्यान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी। SEIAA. द्वारा Environment Clearance के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था। तत्पश्चात आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक 2196 Tech. दिनांक 19.10.2016 द्वारा योजना के समाप्ति हेतु कुल 32 माह अर्थात दिनांक 08.03.2019 तक समय वृद्धि की गई है। भवन के निर्माण में आंशिक रूप से बाहरी एवं आन्तरिक बदलाव तथा SEIAA. से प्राप्त Environment Clearance में निर्धारित शर्तों के कारण 10565.00 लाख रूपये से 5.123% की वृद्धि होकर योजना की पुनरीक्षित राशि 11106.29 लाख रूपये हो गई। वर्ष 2017–18 में योजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या 08 दिनांक 02.01.2018 द्वारा देते हुए वर्ष 2017–18 के लिए 3000.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई एवं कार्यान्वयन एजेन्सी को उक्त राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस प्रकार इस योजना हेतु अब तक कुल 6382.80 लाख रूपये कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करा दी गई है।

उक्त राज्यादेश संख्या 08 दिनांक 02.01.2018 से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4723.49 लाख रूपये निकासी हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जिसके आलोक में इस राज्यादेश से 4723.49 लाख रूपये की स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार इस योजना की पूर्ण राशि स्वीकृत हो जाती है अर्थात इसके पश्चात् कोई राशि देय नहीं है। योजना वर्ष 2018–19 में पूरी कर ली जायेगी।

3. संयुक्त कृषि भवन का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा किया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की है। जिसमें संरचनात्मक निरूपन,

चहारदिवारी निर्माण, पहुँचपथ आदि, जलापूर्ति, विद्युत कार्य एवं अन्य सभी कार्यो का विस्तृत विवरण किया गया है। भवन निर्माण कार्य एवं परिसर के विकास के सभी कार्यो के लिए संवेदक / कार्यान्वयन एजेंसी जिम्मेदार होगा। परियोजना के निर्मित भवन / परिसर के पाँच वर्षो तक रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक / कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार मुख्य निर्माण कार्य मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से बी०टी०सी०–46 पर की जाएगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एजेंसी के पी०एल०ए० खाता संख्या–268 में अंतरित की जाएगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार तथा कृषि विभाग को भेजी जाएगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जाएगा।

5. योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. योजना के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना एवं राज्य स्तर पर कृषि निदेशक द्वारा नियमित रूप से योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. बजट शीर्ष एवं बजट उपलब्धता निम्न प्रकार है, (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 051– निर्माण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0101–कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड–01–4401000510101, विषय शीर्ष–0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	3984.00	3920.50
मुख्य शीर्ष 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष– 0101–कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड–01–4401007890101, विषय शीर्ष–0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	768.00	755.76
मुख्य शीर्ष 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0101–कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड–01–4401007960101, विषय शीर्ष–0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	48.00	47.23
	4800.00	**4723.49**

8. इस योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् दिनांक 11.12.2017 की बैठक में संचिका संख्या पी०पी०एम०–09 / 2012 के पृष्ठ संख्या 58 / टि० पर प्राप्त है। यह एक चालू योजना है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 कंडिका (8) में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या 09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014 के 61 टि० / पर दिनांक 25.04.2018 को तथा माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014 के 61 टि० / पर दिनांक 28.04.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या –7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014 के पृ०सं०–74 / टि० पर दिनांक– 27.06.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

Rabindra
4.7.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2018-19\Mithapur\Mithapur Combind Building.docx-2

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014.......560......... / कृ०, पटना, दिनांक ....4. 7.... / 2018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 4.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014.......560......... / कृ०, पटना, दिनांक ....4. 7.... / 2018

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग / मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 4.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014.......560......... / कृ०, पटना, दिनांक ....4.7..... / 2018

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 4.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014.......560......... / कृ०, पटना, दिनांक ....4. 7.... / 2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आधरभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 4.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014.......560......... / कृ०, पटना, दिनांक ....4.7..... / 2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक / निदेशक, पी०पी०एम० / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना / आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई०–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 4.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2018-19\Mithapur\Mithapur Combind Building.docx-3